UTTARAKHAND PRE-MEDICAL TEST - 2016

INFORMATION BROCHURE

U.P.M.T. - 2016



यू0पी0एम0टी0—2016 परीक्षा से सम्बन्धित विशेष तिथियाँ

(i)	समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	20.03.2016
(ii)	विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि	21.03.2016
(iii)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ ऑनलाईन शुल्क/ ई-चालान शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	25.04.2016 को मध्यरात्रि तक
(iv)	प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि	05.05.2016
(v)	परीक्षा की तिथि	15.05.2016 (रविवार) (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक)
(vi)	परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि	31.05.2016 तक

अनुक्रमणिका

क0 स0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-1
2	यू०पी०एम०टी०—2016 के सन्दर्भ में नियम व शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश	1-3
3	यू०पी०एम०टी०—2016 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें	3-3
4	आरक्षण सम्बन्धी नियम	3-5
5	यू०पी०एम०टी०–२०१६ परीक्षा का कार्यक्रम	5-6
6	यू०पी०एम०टी०—२०१६ परीक्षा केन्द्र	6-6
7	प्रवेश पत्र	7-7
8	अनुचित साधनों का प्रयोग	7-7
9	यू०पी०एम०टी०–२०१६ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानक	7-7
10	यू०पी०एम०टी०—2016 परीक्षा का परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा	7-8
11	काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचना	8-8
12	यू0पी0एम0टी0—2016 के लिए उपलब्ध सीटों/कॉलेज का विवरण	8-9
13	अनिवार्य सेवा सम्बन्धित बाण्ड का प्रावधान	9-9
14	प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम	10-10
15	न्याययिक विवाद	10-10
16	विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप	11-17
	परिशिष्ट—1 (यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन	18-22
17	करने एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन)	
	परिशिष्ट—2 [आरक्षण व्यवस्था, श्रेणी / उपश्रेणी कोड, ओ०बी०सी० एवं	23-26
18	कश्मीरी विस्थापितयों संबंधी शासनादेश की प्रति]	
	परिशिष्ट—3 [यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा का syllabus	27-37
19	(पाठ्यक्रम)]	
20	परिशिष्ट—4 (अनिवार्य सेवा सम्बंधी अनुबन्ध पत्र)	38-46

1. प्रस्तावना:— हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2016—17 में मेडिकल एवं डेन्टल के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस०) की राज्य कोटें की उपलब्ध सीटों में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड प्री—मेडिकल टेस्ट—2016 (यू०पी०एम०टी० 2016) का आयोजन दिनांक 15.05.2016 (रविवार) को अल्मोडा, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर (गढ़वाल) एवं नई टिहरी स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा।

यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2016—17 में मेडिकल एवं डेन्टल के स्नातक पाठ्यकमों (एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस०) की राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों में शासन द्वारा गठित काउन्सिलंग बोर्ड द्वारा यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

- 2. यू0पी0एम0टी0-2016 के सन्दर्भ में नियम व शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश :--
- 2.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवदेन पत्र भरने से पूर्व इस सूचना विवरणिका का भली—भांति अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सूचना विवरणिका के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश (आरक्षण संबधी एवं अन्य) एवं मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश मान्य होगे।
- 2.2 आवेदन प्रक्रिया पूर्णतयः online होगी। इसमें सभी वांछित सूचनाऐं त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पत्राचार का पूरा पता, मोबाइल नम्बर, ई—मेल पता online आवेदन पत्र में दिये गये निश्चित स्थान पर पूर्ण एवं सही—सही भरें। Online आवेदन के साथ किसी भी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं हैं।
- 2.4 यू०पी०एम०टी०–2016 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछडे वर्गों के लिए रूपया 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपया 1400.00 (रूपया एक हजार चार सौ मात्र) निर्धारित की गई है। Online आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया का परिशिष्ट—1 में विस्तारपूर्वक उल्लिखित की गई है। जो अभ्यर्थी परिशिष्ट—1 में प्रक्रियानुसार ई—चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी के साथ ई—चालान की विश्वविद्यालय प्रति सहित दिनांक 30.04.2016 की अपरान्ह 05:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 123 गंगा विहार, हरिद्वार रोड़, देहराद्न—248001 जमा किया जाना अनिवार्य है।
- 2.5 कॉउन्सिलिंग के समय सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां (किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम अध्यनरत शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा सत्यापित) कॉउन्सिलिंग बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर upload करनी अनिवार्य है।
- 2.6 अभ्यर्थी को आवेदन—पत्र में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यू०पी०एम०टी० (उत्तराखण्ड प्री—मेडिकल टेस्ट) —2016 की प्रवेश परीक्षा में मांगी गई श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमित दे दी जाएगी, परन्तु काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के upload किये गये प्रमाण—पत्रों का अवलोकन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु पात्र है अथवा नही। इस विषय पर काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केवल इस आधार पर कि उसे यू०पी०एम०टी० (उत्तराखण्ड प्री—मेडिकल टेस्ट)—2016 प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमित दे दी गयी थी, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं हो जाएगा।
- 2.7 यदि कोई अभ्यर्थी काउंसिलिंग बोर्ड के अवलोकनार्थ निर्धारित समय—सीमान्तर्गत वांछित अभिलेख upload नहीं करता है, तो उसे उस काउंसिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु यदि अगली काउंसिलिंग होती है तो उस स्थिति में ऐसा अभ्यर्थी उस काउंसिलिंग में वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु उसे उस समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन किया जायेगा।
- 2.8 एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी में पिरवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.9 अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन—पत्र की printed copy अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रखे। भविष्य में पत्र—व्यवहार हेतु आवेदन—पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
- **2.10** ओ०एम०आर० उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) जो परीक्षा के समय दी जायेगी उसमें केवल विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये (Black) काले बॉल प्वांइन्ट पेन (Ball-point Pen) का ही प्रयोग करें। ओ०एम०आर० उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) की र्काबन कॉपी अपने साथ ले जा सकते हैं।

- 2.11 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पहले अवश्य ही परीक्षा कक्ष में आ जायें तािक वे ओ०एम०आर० उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) पर वांछित विवरण ठीक प्रकार से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
- 2.12 किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् परीक्षा कक्ष से, परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 2.13 वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से परामर्श साक्षात्कार (काउन्सिलिंग) तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, किसी भी स्थिति में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे। वे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मलित हो रहे हैं या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिये प्रतीक्षारत हैं वे प्रवेश परीक्षा में सम्मलित हो सकते है।
- 2.14 मात्र यू०पी०एम०टी० २०१६ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का मेडिकल / डेन्टल कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश यू०पी०एम०टी०—2016 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों एवं अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों / शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 2.15 अभ्यर्थी द्वारा यू0पी0एम0टी0—2016 के आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना यदि गलत पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश पा लिया गया हो तो भी उसका प्रवेश तत्काल निरस्त माना जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 2.16 वे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं है फिर भी सम्मिलित होते है वे किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होगें। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तो को पहले से ही स्वयं सुनिश्चित कर लें।
- 2.17 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसने यू०पी०एम०टी०—2016 की प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया है तथा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो उसका परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्षों के किसी भी यू०पी०एम०टी० के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 2.18 प्रवेशार्थियों के बाये हाथ के अंगूठे के निशान निम्न अवसरों पर लिये जायेगें।
 - (1) प्रवेश परीक्षा देते समय।
 - (2) सबंन्धित संस्थान में प्रवेश के समय।
- 2.19 परीक्षा के उपरान्त उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.hnbumu.ac.in पर डाली जायेगी किसी अभ्यर्थी को यदि कोई आपित हो तो वह तीन दिन के अन्दर अपनी आपित विश्वविद्यालय की ई मेल info.hnbumu@gmail.com के माध्यम से दर्ज करा सकता है। तीन दिन के पश्चात उपरोक्त के सबंध में कोई सूचना मान्य नहीं होगी तथा उत्तर कुंजी के संबंध में विश्वविद्यालय की विषय विशेषज्ञों की समिति का निर्यण अंतिम होगा।
- 2.20 यू0पी0एम0टी0—2016 परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी अनैतिक तरीके को इस्तेमाल करते हुये पाया गया तो उसका अर्भ्यथन तत्काल निरस्त समझा जायेगा। साथ ही उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा न्यायिक प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
- 2.21 आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक गलत तथा तथ्यों से परे सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त (जैसी भी स्थिति हो) अभ्यर्थी का अभ्यावेदन / प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित मेडिकल कालेज / डेन्टल कालेज के प्राचार्य तथा इससे पूर्व परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था / विश्वविद्यालय अथवा काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- 2.22 परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन आदि) लाना वर्जित हैं।
- 2.23 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा की सूचना विवरणिका में टंकित किसी भी सूचना/नियम/अर्हता/कार्यवाही में किसी भी अस्परूटता की स्थिति में विश्वविद्यालय/कांउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की गयी व्याख्या ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी।
- 2.24 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा एवं कांउन्सिलिंग सम्बन्धी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल एक वर्ष के लिये

सुरक्षित रखे जायेगें।

- 2.25 एम0बी०बी०एस० पाट्यकमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन, 1997 के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी तथा बी०डी०एस० पाट्यकमों में प्रवेश के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी।
- 2.26 यू0पी0एम0टी0—2016 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको सूचना विवरणिका (Brochure 2016) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।
- 2.27 यू0पी0एम0टी0—2016 प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यर्थी परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 123, गंगा विहार, हिरद्वार रोड़, देहरादून—248001 के कार्यालय दूरभाष संख्या 0135—2723322 एवं 2723323 अथवा वेबसाईट पर दिये गये हैल्पलाईन नम्बर से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 3. यू0पी0एम0टी0 2016 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें :--

यू०पी०एम०टी० २०१६ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएँ होगी:--

- 3.1 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- 3.2 अभ्यर्थी की आयु सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश की तिथि अथवा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व/को न्यूनतम 17 वर्ष हो एवं अभ्यर्थी की अधिकतम आयु दिनांक 31.12.2016 को 25 वर्ष हो या उससे कम हो। एस०सी०/एस०टी०/ ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट होगी। अभ्यर्थियों का जन्म निम्न तिथियों को अथवा के मध्य हुआ हों:—
 - (क) 01.01.1987 से 01.01.2000 (एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों हेत्)
 - (ख) 01.01.1992 से 01.01.2000 (अन्य अभ्यर्थियों हेत्)
- 3.3 अभ्यर्थी द्वारा अर्हकारी इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान (बॉयोलोजी ग्रुप) में फिजिक्स, कैमस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलोजी एवं अंग्रेजी में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण की हो तथा फिजिक्स, कैमस्ट्री एवं बायोलॉजी / बायोटेक्नोलोजी में कुल प्राप्त अंकों का औसत 50 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी) / 40 प्रतिशत (एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० श्रेणी) / 45 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी के विकलांग) अंकों से उत्तीर्ण की हो।
- 3.4 उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी / मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों अर्हता परीक्षायें उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हों ।

अथवा

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी / मूल निवासी नहीं है तथा जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों अर्हता परीक्षायें उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हों, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होगें। परन्तु वे किसी भी आरक्षण का लाभ पाने के पात्र नहीं होगें।

अथवा

उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी / मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष अर्हता परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखण्ड राज्य से बाहर स्थित मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हों।

3.5 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी अर्ह होगे जो अर्हकारी परीक्षा में 2016 में सम्मिलित हो रहे हो या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिए प्रतिक्षारत है। परन्तु उन्हें अर्हकारी परीक्षा में कॉउन्सिलिंग की तिथि तक एम०सी०आई० / डी०सी०आई० द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें।

4. आरक्षण सम्बन्धी नियम

यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा हेतु आरक्षित / अनारक्षित श्रेणियों / उपश्रेणियों के विवरण परिशिष्ट—2 पर अवलोकनीय है।

- 4.1 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० पाठ्यकमों की राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिंलिंग की तिथि को प्रचलित / स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 4.2 अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउँन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 4.3 ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य / वैद्य (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 590/xvi -3/12-05(ओ०बी०सी०)/2010 दिनांक 30.05. 2012 के अनुसार ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/ वैद्यता(validity) को भली-भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ०बी०सी० जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

इस प्रकार ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए।

- 4.4 यू.पी.एम.टी.—2016 प्रवेश परीक्षा में उपरोक्तानुसार एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 श्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में रिक्त रहने पर अंतिम (द्वित्तीय) चरण की काउंसिलिंग में निम्नानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी।
 - ओ०बी०सी० श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध अर्ह ओ०बी०सी० अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिक्त सीटें सामान्य श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।
 - अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन रिक्त आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति से तथा अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन रिक्त आरक्षित सीटों को अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति दोनों श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों पर इन दोनों श्रेणियों के अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर इन रिक्त आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- 4.5 ऐसे कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ—साथ निम्नानुसार उल्लिखित अर्हतायें पूर्ण करते हों, यूपीएमटी—2016 प्रवेश परीक्षा में मानकानुसार उत्तीर्ण होने पर उनके लिए एक—एक सीट प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेजों में आरक्षित होगीं।

नोट:- कश्मीरी विस्थापितों की परिभाषा :-

Admission for the seats reserved for Kashmiri Migrant Candidates under U.P.M.T. 2016 PROGRAMMES.

Applications are invited from the Kashmiri Migrant Candidates, who are appearing in U.P.M.T. 2016, for admission to 02 seats, under U.P.M.T. 2016 Programmes. The applications should be duly supported by the attested photocopies of the following certificates:-

- 1. Certificate of registration as Kashmiri Migrant issued by the Relief Commissioner, Jammu or competent authority of Uttarakhand to establish the status of the applicant as registered migrant.
- 2. Provisional or original Senior School Certificate Examination or an examination recognized as equivalent thereto.
- 3. Mark-sheet of the Senior School Certificate examination or an examination recognized as equivalent thereto.
- 4. Secondary School Examination or an examination recognized as equivalent thereto (showing date of birth).
- 5. Proof of property in Kashmir of the parent of the candidate.

- 6. Proof of current residence such as Ration Card, Photo Identity Card issued by the election Commissioner, driving license etc.
- 7. Attested copy of the migration certificate duly signed by the competent authority or Relief commissioner and attested copy of mark sheet of qualifying examination along with the application form.

The admission will be made strictly on merit of U.P.M.T. 2016. Interested candidates need to apply for admission in the prescribed form, as per the schedule given in brochure. The admission shall be made on the basis of merit in the qualifying examination, subject to fulfilling the eligibility criteria.

यदि कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित सीटों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है। तो यह सीटें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।

- 4.6 राजकीय / निजी क्षेत्र में स्थित मेडिकल / डेंटल कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर प्रदेशित किया जाएगा।
- 4.7 प्रत्येक श्रेणी / उपश्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी / उपश्रेणी जिसके अन्तर्गत वह यू०पी०एम०टी०—2016 हेतु अभ्यर्थन कर रहा हैं स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण—पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा।
- 4.8 प्रत्येक संस्थान में राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की तीन प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगी। यह आरक्षण क्षेतिज प्रकृति का होगा। यू०पी०एम०टी०—2016 परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित किये जाने के निम्नानुसार मानक होगें।

3% seats of the annual sanctioned state quota shall be filled up by the eligible candidates under physically handicapped category which will be considered candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%. Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% - before they are included in the annual sanctioned seats for General Category candidates.

- उक्त श्रेणी हेतु आरिक्षत सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्रवेश सिमित के समक्ष मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरिक्षत सीटों के विरुद्ध सीट आवंटन की कार्यवाही हेतु अई माना जाएगा।
- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के चन्दर नगर, देहरादून स्थित कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार को प्रातः 10.00 बजे से बैठेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड के सम्मुख इस आशय का दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (नोटराईजड) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा यू०पी०एम०टी०–2016 प्रवेश परीक्षा के द्वारा सीट आवंटन हेतु इससे पूर्व इस एवं अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया/प्राप्त किया गया है।
- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- अतः इच्छुक विकलांग अभ्थर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यााण, उत्तराखण्ड द्वारा गठित उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

5. यू0पी0एम0टी0-2016 परीक्षा का कार्यक्रम : -

दिनांक एवं दिन	समय	प्रश्न–पत्र	प्रश्नो की संख्या
		1. रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री)	50
15 मई, 2016	पूर्वान्ह 10:00 बजे से	२. भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)	50
(रविवार)	अपरान्ह 1:00 बजे तक	3. जन्तु शास्त्र (जूलोजी)	50
		४. वनस्पति शास्त्र (बॉटनी)	50

- 5.1 यू०पी०एम०टी०—2016 में 04 विषयों अर्थात् भौतिक शास्त्र (फिजिक्स), रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री), वनस्पित शास्त्र (बॉटनी) तथा जन्तु शास्त्र (जूलोजी) में प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। जो इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। विषयों के पाठ्य विवरण (Syllabus) परिशिष्ट—3 में दिए गए हैं। लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र में होगी जिसमें उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न—पत्र तीन घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1.0 अंक होगा और पूर्णांक अंक 200 होंगे।
- 5.2 सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 200 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वउपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होगें तथा गलत/उत्तर नही देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- 5.3 प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अग्रेंजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- 5.4 एम०बी०बी०एस० पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन, 1997 के अनुसार निर्धारित अईतायें लागू होंगी तथा बी०डी०एस० पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अईतायें लागू होंगी।
- 5.5 यू०पी०एम०टी०–2016 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जायेगा।
- 5.6 परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- 5.7 परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन आदि) लाना वर्जित हैं।
- 5.8 सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- 5.9 प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- 5.10 किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- 5.11 यू०पी०एम०टी०—2016 में बैठने वाले अभ्यर्थी एम०बी०बी०एस० एवं बी०डी०एस० दोनों पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि अभ्यर्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हों। इसके लिए उन्हें आवेदन—पत्र में एवं उत्तर—पुस्तिका मे सही जगह पर निर्देशानुसार विकल्पों को भरना/निशान लगाना होगा। दोनों पाठ्यक्रमों के लिये केवल एक ही परीक्षा होगी, जिसका वर्णन ऊपर किया गया हैं। अभ्यर्थी को दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए अलग से दूसरा आवेदन—पत्र भरने की आवश्यकता नहीं हैं। कॉउन्सिलिंग के समय अभ्यथियों को एम०बी०बी०एस० अथवा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के विकल्प देना होगा। परन्तु पाठ्यक्रम का आवंटन मेरिट सूची के आधार पर कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

6. यू0पी0एम0टी0 2016 परीक्षा केन्द्र यु0पी0एम0टी—2016 परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रो पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
अल्मोड़ा	1
देहरादून	2
हल्द्वानी	3
श्रीनगर (गढ़वाल)	4
नई टिहरी	5

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरना होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं है। परन्तु विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढाने / घटानें एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमित दी जाएगी। एक बार आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्र को बदलने हेत् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र (Admit Card) सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 05.05.2016 तक अभ्यर्थी द्वारा online भरे गये आवेदन पत्र में दिये गये email पर भेज दिये जायेगें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in में भी अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर सकते है। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में डूप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे online द्वारा email पर प्राप्त प्रवेश पत्र अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्र को अवश्य लेकर परीक्षा केन्द्र में परीक्षा हेतु उपस्थित होवें तथा अभ्यर्थी यह प्रवेश पत्र तब तक सुरक्षित रखें जब तक प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होकर संपन्न न हो जाए। साथ ही अभ्यर्थी online आवेदन करते समय अंकित किया गया मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड सम्पूर्ण परीक्षा पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें।

8. अनुचित साधनों का प्रयोग (Unfair means)

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, चाहे उसका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को बिना किसी लिखित सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय/विभाग/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

9. यू0पी0एम0टी0-2016 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानक:-

यू०पी०एम०टी० २०१६ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

• सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु – ५० प्रतिशत अंक

• एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० हेतु — ४० प्रतिशत अंक

• सामान्य श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु — 45 प्रतिशत अंक

10. यू०पी०एम०टी०-2016 परीक्षा का परीक्षाफल / मेरिट सूची की घोषणा :

- 10.1 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। साथ ही परीक्षाफल घोषित होने की सूचना भी प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत परीक्षाफल (Score Card) उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को पृथक से स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप से प्रकाशित करता है एवं उसमें कोई गलितयां रह जाती है और वह समाचार पत्र इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता तो इसके लिए विश्वविद्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे व इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10.2 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम वनस्पित विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के प्रश्न—पत्रों में प्राप्त कुल प्राप्ताकों के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति मे प्रत्येक अभ्यर्थी की पारंपरिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः संबंधित अभ्यर्थियों के बायोलॉजी (जन्तु विज्ञान एवं वनस्पित विज्ञान के प्राप्तांकों का योग) के प्रश्न—पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम द्वारा निर्धारित की जाएगी। बायोलॉजी के प्रश्न—पत्र में भी एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर मेरिट की अवधारणा रसायन शास्त्र के प्रश्न—पत्र के प्राप्तांकों के मेरिट कम से की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि मेरिट कमांक की अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के भौतिक शास्त्र के प्रश्न—पत्र के प्राप्तांक के कम में मेरिट निर्धारित की जाएगी और अंत में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद

मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों का मेरिट कम जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के अभ्यर्थी को मैरिट कम में ऊपर के स्थान पर रखा जायेगा।

11. काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचना

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

- 11.1 विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु यू०पी०एम०टी०—2016 की काउँन्सिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से सम्पन्न कराई जाए। काउँन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउँन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।
- 11.2 यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउँन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय कॉउन्सिलिंग के माध्यम से यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- 11.3 मात्र यू०पी०एम०टी०—2016 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का मेडिकल / डेन्टल कॉलेजों की राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश यू०पी०एम०टी०—2016 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों एवं अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों / शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 11.4 यू0पी0एम0टी0—2016 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय—सीमा में Online काउँन्सिलिंग धनराशि रू० 1000 / (रूपया एक हजार मात्र) Online or E-chalan के माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य हेगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही कॉउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जाएगें। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
- 11.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में धनराशि रू० 1000 / देकर अपना पंजीकरण करवा चुका हैं और वह द्वित्तीय काउंसिलिंग / विस्तारित काउन्सिलिंग में भी सिम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।
- 11.6 काउंसिलिंग के विभिन्न चरणों तथा प्रतिभाग करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियम एवं शर्ते तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण पृथक से वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 11.7 कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस कॉउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।
- 11.8 अभ्यर्थी को सभी संस्थानों में पाठ्यक्रम / संस्थान बदलने की सुविधा प्रवेश की अन्तिम तिथि तक अनुमन्य होगी।
- 11.9 यू०पी०एम०टी०—2016 परीक्षा के माध्यम से कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होगें तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार यू०पी०एम०टी0—2016 कॉउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।
- 11.10 काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाएँ समय—समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

12. यू0पी0एम0टी0—2016 के लिए उपलब्ध सीटों का पाठ्यक्रमवार/कालेजवार विवरण (सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल/ डेन्टल कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम तथा सीटों की संख्या) :

क.सं.	कालेज का नाम	पाठ्यकम	राज्य कोटे की सीटों की संख्या
1.	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर–पौड़ी गढ़वाल	एम0बी0बी0एस0	85
2.	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	एम0बी0बी0एस0	85

3.	राजकीय मेडिकल कालेज, देहरादून	एम0बी0बी0एस0	**
4.	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइन्सेज,	एम0बी0बी0एस0	25
	जौलीग्रान्ट, देहरादून।		
5.	श्री गुरू रामराय मेडिकल कालेज, देहरादून	एम0बी0बी0एस0	25
6.	सीमा डेन्टल कालेज, ऋषिकेश	बी०डी०एस०	50
7.	उत्तरांचल डेन्टल कालेज, माजरी ग्राण्ट, देहरादून	बी०डी०एस०	50

** इन सीटों की संख्या भारत सरकार/मेडिकल काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा इन्हें काउन्सिलिंग के समय अधिसूचित किया जायेगा।

- उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा मेडिकल काउन्सिल / डेंटल काउन्सिल ऑफ इण्डिया की कालेज विशेष के बारे में अध्नान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सिम्मिलित हैं) कमी, बढोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- उपरोक्त सीटों के विवरण में सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में शासन द्वारा गठित कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा कॉउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- उक्त संस्थाओं मे प्रवेश का निर्णय कॉउसिलिंग की तिथि तक भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन की अनुमित की स्थिति पर निर्भर करेगा।
- अभ्यर्थी को शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, होस्टल फीस इत्यादि कॉउसिलिंग प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। उपरोक्त विषय मे उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. अनिवार्य सेवा सम्बन्धित बॉण्ड का प्राविधानः

- राज्य सरकार के अथक प्रयासो के बावजूद राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों मे चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ नहीं हो पायी हैं। इन क्षेत्रों के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की नैतिक बाध्यता हैं। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1145/XXVIII(1)/2013-U.O.-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि केवल वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल (राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर) तथा राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्धानी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प देते हुए राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में एम०बी०बी०एस० पाट्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य सेवा संविदा पर प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा। अनिवार्य सेवा का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थीयों को ही इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा (अनिवार्य सेवा सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र सूचना विवरिणका के परिशिष्ट—4 पर अभ्यर्थियों के संज्ञानार्थ प्रकाशित की गयी है)। यह व्यवस्था राजकीय मेडिकल कालेज, देहरादून को एम.सी.आई. से एम.बी.बी.एस. पाट्यक्रम में मान्यता मिलने की दशा में भी लागू होगी।
- उक्त अनुबन्ध पत्र अभ्यर्थी को कॉलेज में प्रवेश के समय ही भरना अनिवार्य होगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थी अनुबन्ध पत्र हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखो के साथ सम्बन्धित कॉलेज में प्रवेश के समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उन्हे रियायती दरो पर कॉलेज में प्रवेश दिया जाना सम्भव नही होगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थीयो को यह सलाह दी जाती है कि वे इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन होने के तत्काल बाद ही सम्बन्धित कॉलेज से उक्त अनुबन्ध पत्र भरने हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखो एवं औपचारिकताओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं सम्पर्क स्थापित करे। तािक उन्हें प्रवेश के समय अनिवार्य सेवा सम्बधी उक्त अनुबन्ध पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम काउन्सिलिंग उपरान्त निर्धारित समयसीमान्तर्गत कालेज में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ दी गई है, उन्हें किसी भी दशा में अगली काउन्सिलिंग हेतु सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

14. प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम:--

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कॉउन्सिलिंग में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता है। तो उसे द्वित्तीय कॉउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना कॉउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू० 4000 / मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम /द्वित्तीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यकम/ संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान में सीट छोड़कर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता है। तो इस दशा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू० 4000/— मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी द्वित्तीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता है। तो इस दशा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरुद्ध किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू० 4000 / मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

15. न्याययिक विवाद :--

यू०पी०एम०टी०—2016 परीक्षा एवं प्रवेश से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होगें।

=Disclaimer=

- Instances of provision of incorrect information detected at any stage of the selection process will automatically disqualify the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear for UPMT in future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect and the Principal/Dean of the concerned college/ institute shall have the authority to cancel admission of the candidate and to proceed with legal action against him/her as all the information/ documents furnished by the candidate will be scrutinized /verified by competent authorities, after admission in the concerned college/institute.
- The statement made in information bulletin and all information contained herein are believed to be correct at the time of publication /uploading in the website. However, the University/ Uttarakhand Government reserve the right to make any change without notice, changes and additions to the regulations/conditions governing the admission procedure, conduct of students, requirements for degree, fees and any other information, or statements contained in this information bulletin at any time. University/ Uttarakhand Government will not be responsible for hardship or expense incurred by the candidates or any other person or persons for such changes, additions, omissions or errors, no matter how they are caused.
- In case of any ambiguity in interpretation of any the instructions /terms /rules/criteria regarding counseling, the interpretation of the Counseling Board shall be final and binding.

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र नं0 1 का प्रारूप स्थाई निवास / मूल निवास प्रमाण-पत्र

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती
वहसील	पत्र / पत्री / पत्नी श्री निवासी गाम / मोहल्ला / वार्ट
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण—पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदण्डों की भली भांति जांच कर ती गई है और मैं जांच से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जिलाधिकारी/परगनाधिकारी सील उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588/एक—4/सा.प्र./2001 दिनोंक 20.11.2001 टिप्पणी: उपरोक्त प्रमाण—पत्र केवल जिलाधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना है। अन्य किसी भी अनाधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। 7.1 (अ) प्रमाण पत्र नं० 1 के आवेदन का प्रारूप उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588/एक—4/सा.प्र./2001क दिनोंक 20.11.2001 सेवा में, विषय: स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 6. क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक के शिक्षा—दीक्षा कहाँ हुई है (हाई स्कूल व आते की शिक्षा के विधालय/विश्वयिद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से है? (यहां संपत्ति का संक्षिल ब्योरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपाजित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपाजित कर रहे हैं, वाद सरकार्य के विशास—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता. 4. मैं घोषणा करता/करती हैं कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। मैं घोषणा करता/करती हैं कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। करताक्षर पता. हस्ताक्षर पता. हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर हम्लाधर	तहसील
सील उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001 दिनोंक 20.11.2001 टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण—पत्र केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना है। अन्य किसी भी अनाधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। 7.1 (अ) प्रमाण पत्र नं० 1 के आवेदन का प्रारूप संलग्नक—अ उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001क दिनोंक 20.11.2001 सेवा में, विषयः स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक के पिता का नाम 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 6. क. आवेदक के पिता का नाम 6. क. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के दिधालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पेतृक आग पेवक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का नामा/पिता अपने पेतृक आग में आजीविका उपाजित कर रहे हैं, तथा का संक्षित्व खोरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्तावर 1. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे हारा ची गई उपरोक्त सूचनाए सत्य है। हस्तावर किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। हस्तावर	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पर्व निर्धारित
टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण—पत्र केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी हारा ही जारी किया जाना है। अन्य किसी भी अनाधिकृत अधिकारी हारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। 7.1 (अ) प्रमाण पत्र नं0 1 के आवेदन का प्रारूप उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001क दिनों क 20.11.2001 सेवा में, विषयः स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जान्मतिथि व जन्म स्थान 3. आवेदक की जान्मतिथि व जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्म है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। 6. क. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय / विश्वविद्यालय / सेव्यविद्यालय / विश्वविद्यालय विद्यालय / विश्वविद्यालय / विश्ववि	सील
अन्य किसी भी अनाधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। 7.1 (अ) प्रमाण पत्र नं० 1 के आवेदन का प्रारूप उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001क दिनोंक 20.11.2001 सेवा में, विषयः स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि य जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का नाम 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से मिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। 6. क. आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपत्ति हैं? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त व्योश भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपाजित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपाजित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर 1. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। 4. में घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। 4. में घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अदिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास / खोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। 8. स्ताक्षर	
उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या—2588 / एक—4 / सा.प्र. / 2001क दिनॉक 20.11.2001 सेवा में, विषयः स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि य जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 6. क. आवेदक की शिक्षा—दीशा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त व्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण—पत्र केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना है। अन्य किसी भी अनाधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
विषयः स्थाई निवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि व जन्म स्थान 3. आवेदक के जिन्मतिथि व जन्म स्थान 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। 6. क. आवेदक को शिक्षा-दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त व्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपाणित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपाणित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर 11. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे हारा उत्तरराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक: हस्ताक्षर टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण-पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी/परगनाधिकारी हारा जारी किया	उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-2588/एक-4/सा.प्र./2001क दिनॉक 20.11.2001
विषयः स्थाई निवास प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि व जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। 6. क. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां वैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से है? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त अयोग भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपाजित कर रहे हैं. यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपाजित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस दिमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	सेवा में,
महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि व जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का नाम 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 6. क. आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/ ख. आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
महोदय, 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक की जन्मतिथि व जन्म स्थान 3. आवेदक के पिता का नाम 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान 6. क. आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/ ख. आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
 आवेदक का नाम आवेदक की जन्मतिथि य जन्म स्थान आवेदक के पिता का नाम आवेदक के पिता का जन्म स्थान यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। क. आवेदक का स्थाई पता आवेदक को शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) क्या आवेदक के माता/पिता/ दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से है? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्योरा भी दिया जाए) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपार्जित कर रहे हैं. यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक: हस्ताक्षर विष्पणी: उपरोक्त प्रमाण—पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी/परगनाधिकारी हारा जारी किया 	महोदरा
 आवेदक की जन्मतिथि य जन्म स्थान आवेदक के पिता का नाम आवेदक के पिता का जन्म स्थान यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक: इस्ताक्षर टिप्पणी: उपरोक्त प्रमाण-पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा जारी किया 	
 3. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं। 6. क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता. 1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। ये घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक: हस्ताक्षर टिप्पणी: उपरोक्त प्रमाण—पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी/परगनाधिकारी हारा जारी किया 	
 4. आवेदक के पिता का जन्म स्थान 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं! 6. क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम मे आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
 5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं! 6. क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
 6. क. आवेदक का स्थाई पता ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से है? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
ख. आवेदक की शिक्षा—दीक्षा कहां हुई है (हाई स्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब सें? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	5. यदि पिता का जन्म स्थान उत्तराखण्ड से भिन्न है तो वह कब से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम, जनपद, वर्ष का विवरण दें) 7. क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से हैं? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब सें? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
 7. क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से है? (यहां संपत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाए) 8. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम जनपट वर्ष का विवरण हैं)
 8. क्या आवेदक के माता / पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विभाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	7. क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपत्ति है? यदि हां, तो कहां तथा कब से
अपनी आजीविका उपाजित कर रहे हैं, तथा कब से? (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भर दें) 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	
 9. क्या आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां, तो जनपद में किस विमाग में, किस पद पर तैनात हैं 10. स्थाई निवास प्रमाण—पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे है तथा कब से? (यहां बनके ह्यातमाग का विकास भर हैं)
10. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाने का कारण। हस्ताक्षर पता	9. क्या आवेदक के माता /पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां तो जनपद में किस विभाग में किस पट पर तैसान है
पता	10. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाने का कारण।
 मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्ष्त सूचनाएं सत्य है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास / डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक:	हस्ताक्षर
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास / डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक:	
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास / डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। दिनांक:	1. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है।
स्थानःहस्ताक्षर टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण-पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा जारी किया	2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास / डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण-पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा जारी किया	
	टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण-पत्र इस आवेदन पत्र के आधार पर केवल जिलाधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा जारी किया

प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र नं0 2 प्रमाण पत्र जारी करने का प्रारूप

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/	कु० / श्रीमती	······································
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री		
तहसीलजिला		उत्तराखण्ड राज्य की
	जाति के व्य	ाक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित
जाति) आदेश 1950 जो कि समय-समय पर	संशोधित हुआ	है (संविधान) अनुसूचित जनजाति,
उत्तर प्रदेश (आदेश) 1987 के अनुसार अनुसूचित	त जाति/अनुसूचि	वत जनजाति के रूप में मान्यता दी
गई है।		
श्री / कु० / श्रीमती	·····	तथा / अथवा उसका परिवार
ग्राम	त्ह	इसीलनगर
जिलामें समान्यता रहत	⊺ है	
स्थानः		हस्ताक्षर
दिनांक		पूरा नाम
		पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

कार्यालय सील

टिप्पणीः उपरोक्त प्रमाण पत्र केवल उपरोक्त वर्णित किसी एक अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। अन्य किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण मान्य नहीं होगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र नं0 2 प्रमाण पत्र नं0 3 का प्रारूप

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति के प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती	8+7
पुत्र/सुपुत्री श्री	
जिला उत्तराखण्ड राज्य की	
पिछड़ी जाति के व्यक्ति है, जिसे उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तः	था
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम) 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।	
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती	
श्री / कु0 / श्रीमती तथा / अथवा उसका परिव	TR
ग्राम	
में लामान्यता रहता है।	
रथान:	
दिनांक पूरा नाम	
मुहर	
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधि कारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट	

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए सूचना संकेत:— उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई प्रारूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थित में उपरोक्त प्रारूप ही मान्य होगा।

टिप्पणी:— केवल जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मंजिस्ट्रेट या परगनाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा एवं नवीनतम होगा। यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जबकि यह निर्गत तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।

विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित का प्रमाण-पत्र

		————िनवासी	
	management of the second control of the seco	Total I	
सैनिक के लिए आरक्षण अधिनि	र सपा (शाशाशक रूप स विव वियम 1993) के अनुसार स्वतंत्र	लांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श विवाही पौत्र उपरांकित अधिनिय के आश्रित है।	के आश्रित और भूतपूर्व
स्थानः			हस्ताक्षर
			6441414
दिनांक			H-H
***********			पूरा नाम
			पद नाम
			44 314
			(Medicania)
			मुहर
भभ्यर्थी के हस्ताक्षर			
जेलाधिकारी सील)			

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए सूचना संकेत:— उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त आश्रित के प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई प्रारूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त प्रारूप ही मान्य होगा।

टिप्पणी:- केवल जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही उपरोक्त आरक्षण के लिए मान्य होगा।

प्रमाण पत्र

श्रेणी 3 के प्रमाण-पत्र नं0 5 का प्रारूप

युद्ध में शहीद / युद्ध में अपंग सैनिकों के पुत्र / पुत्री के लिए प्रमाण-पत्र
1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री X
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय+
सेना की सिकय सेवाकाल में कर्तव्यों के निर्वाह के लिए युद्ध में आहत / युद्ध में अपंग ह
के कारण वीरगति / अक्षमता प्राप्त की थी।
2 . वीरगति / अक्षमता प्राप्त करने से पहले श्री X भारतीय $+$
में नियुक्त थे।
दिनांकसेना के सम्बन्धित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु0++
निवासी
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
देनांक सक्षम अधिकारी का नाम
सक्षम अधिकारी का पद

सील

X भूतपूर्व सैनिक का नाम
XX भूतपूर्व सैनिक का स्पष्ट पता
+ भूतल/नभ/जल जो उपयुक्त हो
++ अभ्यर्थी का नाम
* यूनिट की संख्या व पता

Certificate Of Locomotors Disability

(For admission to MBBS/BDS courses-2016 in Uttarakhand state quota)

Certificate No		I	Dated
This is to certify that D	r./Mr./Ms	Aged	years son/ daughter of
	R/o		
	is suffering from		
	pairment (PPI) of left/right/Both		
disabled and has the 1	percentage ofin wo	rds	
	%) disability of lower limbs.		
guidelines subject to his	Recent passport size Photograph of the candidate duly attested by the issuing authority		
Signature	Signature		Signature
Full Name	Full Name		Full Name
(Member No.1 of the B	oard) (Member No.2 of the Bo	oard) (Mem	ber No.3 of the Board)

Countersigned by the Chairman Board



BEFORE FILLING THE APPLICATION FORM PLEASE KEEP THE FOLLOWING THINGS READY

- (1) Photograph taken on or after 21.03.2016 as JPEG image maximum size 50 KB.
- (2) Digital Signature (Scanned) as in JPEG image maximum size 30 KB.
- (3) Left Hand thumb impression (Scanned) as in JPEG image maximum size 30 KB.

MODE OF PAYMENT OF FEE FOR UPMT-2016 WILL BE THROUGH FOLLOWING METHODS:-

Note: Candidates are advised to decide the mode of payment of fee in advance and keep the relevant documents ready before filling the online application form.

By Online Payment through Credit/Debit Card/Internet Banking.

Or

BY Offline Payment through E-Challan generated after filling the application form on any branch of of Allahabad Bank.

FEE: Rs. 2,000/- (Two Thousand Only) for General & OBC candidates

Rs. 1,400/- (One Thousand Four Hundred Only) for SC and ST candidates.

STEP WISE PROCEDURE FOR FILLING THE ONLINE APPLICATION FORM:-

- (1) Click on the link UPMT-2016.
- (2) The following screen will appear.


(3)



- (5) Download Brochure and read it carefully.
- (6) Click on the button **Candidate Login or Apply Online** the following screen will appear accept the declaration and click on proceed.




(7) First time user, click on the button New User. Enter your mobile number and click on submit button.




You will receive a password via SMS on your mobile number, enter the password.

Or


If you are an existing user, enter your mobile number and password.




Click **Login Button**. The following screen will appear.




(8) Now Click on User Activity Button on top of the Screen and select the option Fill Application Form, upload photograph, thumb impression and signature, accept the declaration, save and update.





(9) After filling the form again go to the user activity and select the option pay fee. The following Screen will appear:



If you have selected the online option computer will automatically take you to payment module and will ask for necessary Credit/Debit/Internet Banking details.

If you have decided to pay offline through Bank Challan the computer will generate your copy of e-challan. Candidates have to take the printout of e-challan to the nearest branch of Allahabad Bank after 24 hours of taking print out and deposit the fee.



- (10) After successful payment of online/offline fee, candidate can take out the printout of completely filled form for future reference.
- (11)Candidate who have opted for fee payment through **e-challan** are required to send the printed copy of application form along with **University copy of e-challan** to the following address by speed post or by hand on or before 30.04.2016 (05:00 P.M.)

Controller of Examination

H.N.B. Uttarakhand Medical Education University, 123, Ganga Vihar, Haridwar Road Dehradun – 248 001.

The University will not be responsible for any postal delay. The application received by speed post or personally after 30.04.2016 (05:00 P.M.) shall not be entertained under any circumstances. Candidate who have submitted fee online by internet banking, credit/debit card need not send any hard copy to the University. However, they are advised to keep a copy for future reference.

- (12) Fee shall neither be refunded nor carry forwarded under any circumstance. Hence, candidates are advised to read eligibility criteria carefully before applying.
- (13) The admit card will be uploaded on the website from <u>05.05.2016</u>. Candidates can download the admit card from the website. It is necessary that candidate must remember the mobile number and password provided at the time of filling the application form.

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित है :—

(i) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति : 19 प्रतिशत

(ii) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जनजाति : 04 प्रतिशत

(iii) उत्तराखण्ड के अन्य पिछडे वर्ग : 14 प्रतिशत

उत्तराखण्ड में संचालित मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों की सूची उत्तराखण्ड शासन द्वारा जाने वाले शासनादेश के अनुसार होगी। शासनादेश संख्या—590/XVII-3/15-05(ओ०बी०सी०)/2010 दिनांक 03.05.2012 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 01 वर्ष तक मान्य होंगे।

इस प्रकार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए।

यू०पी०एम०टी०—2016 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल / Horizontal) आरक्षण (कालेजवार) निम्नवत् है :—

(i) उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए

: 05 प्रतिशत

(ii) उत्तराखण्ड अधिवास की महिलाएं : 30 प्रतिशत

(i) उत्तराखण्ड अधिवास के विकलांग व्यक्ति : 03 प्रतिशत

(ii) उत्तराखण्ड अधिवास के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित : 02 प्रतिशत

(iii) कश्मीरी विस्थापितों के लिए : 01 सीट

(प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज)

Category code

कं0	श्रेणी		कोड	
सं0			Category	Sub- Category
1.	सामान्य	GE	1	
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	OBC	2	
3.	अनुसूचित जाति	SC	3	
4.	अनुसूचित जनजाति	ST	4	
5.	सामान्य-स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित	GE-FF	1	6
6.	उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए	GE-DPW	1	7
7.	सामान्य–विकलांग	GE-PH	1	8
8.	सामान्य महिला	GE-W	1	9
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग— स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित	OBC-FF	2	6
10.	अन्य पिछड़ा वर्ग— उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए	OBC- DPW	2	7
11.	अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग	OBC-PH	2	8
12.	अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला	OBC-W	2	9
13.	अनुसूचित जाति—स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित	SC-FF	3	6
14.	अनुसूचित जाति— उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपर्वू सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए	SC-DPW	3	7
15.	अनुसूचित जाति– विकलांग	SC-PH	3	8
16.	अनुसूचित जाति– महिला	SC-W	3	9
17.	अनुसूचित जनजाति—स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित	ST-FF	4	6
18.	अनुसूचित जनजाति— उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एंव पुत्रियों के लिए	ST-DPW	4	7
19.	अनुसूचित जनजाति–विकलांग	ST-PH	4	8
20.	अनुसूचित जनजाति— महिला	ST-W	4	9
21.	कश्मीरी विस्थापित	WKM	5	

प्रेषक

सुबर्द्धन, सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

भेवा में

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। समाज कल्याण अनुभाग—3,

वेहरादूनः विनांकः 30 मई, 2012

विषयः अन्य पिछड़े यर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पन्नों की वैधता अवधि 06 मा**ह से बढ़ाकर 01 वर्ष** तक किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

जपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अन्य विछडा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण-पत्रों की वैधता अविध निर्धारण के सम्बन्ध में रिश्वति स्वव्द न होने के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष अनेक किनाइयां परिलक्षित हो रही है, इस्न सम्बन्ध में शासन के समक्ष भी सयम-समय पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे है।

अत्तएव इस प्रकार की किविनाइयों का निश्वज्ञारण करने हेतु सत्ताराखण्ड अन्य पिछडां वर्ग आयोग द्वारा शासन को सन्दर्भित संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपसन्त यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण-पत्रों की वैधता अविधि प्रमाण-पत्र निर्गत होगे की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवतीय, दि (सुबर्धन) ६ सिंचा।

संख्या 590/XVII-3/12-05(ओ०बी०सी०)/2010 तददिनांक। प्रतिलिपि- निम्नातिखित को सूचनार्थ एय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.-निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।

2.-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

3.—सचिव अन्य पिछडा वर्ग आयोग उत्तराखण्ड,देहरादून।

455/12

आझा से.

My

(बीठआर० टम्टा) ८ अपर राचिव।



No. 3-1/2012-NER
Govt. of India
inistry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi Dated:- 04.06.2014

I Vice-Chancellors of all Universities

II. Chairman, AICTE

III. Chairman, UGC

IV. Education Secretaries of all States/UTs

Sub:- Concession for the wards of Kashmiri migrants for admission during academics session 2014-15-Reg.

Sir.

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 3-1/2012-NER dated 7th March, 2013, regarding provision of certain concessions for the wards of Kashmiri migrants in the matter of their admission to the educational institutions in other parts of the country during the academic session 2013-14. As Kashmiri migrants continue to face hardships, it would be necessary to provide concessions to their wards for their admission during the coming academic session also.

- 2 it is, therefore, requested to kindly provide the following concessions to the Kashmiri migrants in the matter of their admission in your institutions during the academic session 2014-15.
 - (i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
 - (ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.
 - (iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.
 - (iv) Waiving off domicile requirements.

Yours faithfully, (Anil Gairola) Under Secretary to the Govt. of India Copy for similar action to: SAURASHTRA UNIVERSITY AS (Tech.) (i) RAJKOT - 360 25. (ii) JS (HE) (iii) JS (CU) Copy to Ministry of Home Affairs ((JS (K)), North Block, New Delhi U.G.C. 1200 1 / SECTION

Syllabus of U.P.M.T. – 2016

PHYSICS (PART-I)

Unit I: Physical World and Measurement

Physics – scope and excitement: nature of physical laws: Physics, technology and society. Need for measurement: Units of measurement; systems of units; SI units, fundamental and derived units. Length, mass and time measurements; accuracy and precision of physical quantities, dimensional analysis and its applications.

Unit II: Kinematics

Frame of reference. Motion in straight line: Position-time graph, speed and velocity. Uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity. Uniformly accelerated motion, velocity-time, position-time graphs, relations for uniformly accelerated motion (graphical treatment). Elementary concepts of differentiation and integration for describing motion. Scalar and vector quantities: Position and displacement vectors, general vectors and notation, equality of vectors, multiplication of vectors by a real number; addition and subtraction of vectors. Relative velocity. Unit vector; resolution of a vector in a plane-rectangular components. Motion in a plane. Cases of uniform acceleration-projectile motion. Uniform circular motion.

Unit III: Laws of motion

Intuitive concepts of force, Inertia, Newton's first law of motion; momentum and Newton's second law of motion; impulse; Newton's third law of motion. Law of conservation of linear momentum and its application. Equilibrium of concurrent forces. Static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction. Dynamics and uniform circular motion; Centripetal force, examples of circular motion (vehicle on level circular road, vehicle on banked road).

Unit IV: Work, Energy and Power

Scalar product of vectors. Work done by a constant force and a variable force, kinetic energy, work-energy theorem, power. Notion of potential energy, Potential energy of a spring, conservative forces; conservation of mechanical energy (kinetic and potential energies); non-conservative forces: Elementary idea of elastic and inelastic collisions in one and two dimensions.

Unit V: Motion of System of Particles and Rigid Body

Centre of mass of a two-particle system, mopmentum conversation and centre of mass motion. Centre of mass of a rigid body; centre of mass of uniform rod. Vector product of vectors; moment of force, torque, angular momentum, conservation of angular momentum with some examples. Equilibruim of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motions; moment of inertia, radius of gyration. Values of moments of nertia for smple geometrical objects (no derivation) Statement of parallel and perpendicular axes theorems and their applications.

Unit VI: Gravitation

Keplar's laws of planetary motion. The universal law of gravitation. Acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth. Gravitational potential energy;

gravitational potential. Escape velocity. Orbital velocity of a satellite. Geo-stationary satellites.

Unit VII: Properties of Bulk Matter

Elastic behaviour, Stress-stain relationship. Hooke'las. Young's modules bulk modules, shear, modulus of rigidity. Pressure due to a fluid coloumn: Pascal's law and its applications (hydraulic lift and hydraulic brakes). Effect of gravity on fluid pressure. Vscosity. Stokers'law, terminal velocity, Reynold's number, streamline and turbulent flow. Bernoulli's theorem and its applications. Surface energy and surface tension, angle of contact, application of surface tension ideas to drops, bubbles and capillary rise. Heat transfer-conduction, convection and radiation, thermal conductivity, Newton's law of cooling.

Unit VIII: Thermodynamics

Thermal equilibrium and definition of temperature (zeroth law of thermodynamics). Heat, work and internal energy. First law of thermodynamics. Second law of thermodynamics: reversible and irreversible processes. Heat engines and refrigerators.

Unit IX: Behaviour of Perfect Gas and Kinetic Theory

Equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas. Kinetic theory of gases, assumption, concept of pressure, Kinetic energy and temperature: rins speed of gas molecules; degrees of freedom, law of equipartition of energy (statement only) and application to specific heats of gases; concept of mean free path, Avogadro's number.

Unit X: Oscillations and Waves

Periodic motion – period, frequency, displacement as a function of time. Period functions. Simple harmonic motion (S.H.M.) and its equation: phase: oscillations of a spring-restoring force and force constant; energy in S.H.M. – kinetic and potential energies; simple pendulum-derivation of expression for its time period; free, forced (damped) oscillations (qualitative ideas only), resonance. Wave motion Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion. Displacement relation for a progressive wave. Principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves in strings and organ pipes, fundamental mode and harmonies. Beats. Doppler effect.

PHYSICS (PART – II)

Unit 1: Electrostatics

Electric Charges: Conservation of charge, Coulomb's law-force between two point charge, forces between multiple charges; superposition principle and continuous charge distribution.

Electric field, electric field due to a point charge, electric field lines; electric dipole, electric field due to a dipole; torque on a dipole in uniform electric field.

Electric flux, statement of Gauss's theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell (field inside and outside).

Electric field, electric field due to a point charge, electric field lines; electric dipole, electric field due to a dipole; torque on a dipole in uniform electric field.

Electric flux, statement of Gauss's theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell (field inside and outside).

Electric potential, potential difference, electric potential due to a point charge a dipole and system of charges; equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of two point charges and of electric dipole in a electrostatic field.

Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor. Dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitors. Van de Graaff generator.

Unit II: Current Electricity

Electric current, flow of electric charges in a metallic conductor, drift velocity, mobility and their relation with electric current; Ohm's law, electrical resistance. V-I characteristics (linear and non-linear), electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity. Carbon resistors, colour code for carbon resistors; series and parallel combinations of resistors; temperature dependence of resistance.

Internal resistance of a cell, potential difference and emf of a cell combination of cells in series and in parallel.

Kirchhoff's laws and simple applications. Wheatstone bridge, metre bridge.

Potentiometer – principle and its applications to measure potential difference and for comparing emf of two cells: measurement of internal resistance of a cell.

Unit III: Magnetic Effects of Current and Magnetism

Concept of magnetic field. Oersted's experiment.

Biot – Savart law and its application to current carrying circular loop.

Ampere's law and its applications to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids.

Force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields. Cyclotron. Force on a current-carrying conductor in a uniform magnetic field. Force between two parallel current-carrying conductors-definition of ampere. Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field; moving coil galvanometer-its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter.

Current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic field intensity due to a magnetic dipole (bar magnet) along its axis and perpendicular to its axis. Torque on a magnetic dipole (bar magnet) in a uniform magnetic field; bar magnet as a equivalent solenoid, magnetic field lines; Earth's magnetic field and magnetic elements. Para-dia-and ferro-magnetic substances, with examples. Electromagnets and factors affecting their strengths. Permanent magnets.

Unit IV: Electromagnetic Induction and Alternating Currents

Electromagnetic induction: Faraday's law, induced emf and current; Lenz's Law, Eddy currents. Self and mutual inductance.

Need for displacement current.

Alternating currents, peak and rums values of alternating current/voltage; reactance and impedance; LC oscillators (qualitative treatment only) LCR series circuit, resonance; power in AC circuits, wattless current.

AC generator and transformer.

Unit V: Electromagnetic Waves

Displacement current, Electromagnetic waves and their characteristics (qualitative ideas only). Transverse nature of electromagnetic waves.

Electromagnetic spectrum (radio waves, Microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, gamma rays) including elementary facts about their uses.

Unit VI: Optics

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, Refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lensmaker's formula. Magnification. Power of a lens, combination of thin lenses in contact. Refraction and dispersion of light through a prism.

Scattering of light – blue colour of the sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset.

Optical instruments: Human eye, image formation and accommodation, correction of eve defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism) using lenses Microscopes and astronomical telescopes (reflecting and refracting) and their magnifying powers.

Wave optics: wave front and Huygens' Principle, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wave fronts.

Proof of laws of reflection and refraction using Huygens' Principle Interference. Young's double slit experiment and expression for fringe width. Coherent sources and sustained interference of light. Diffraction due to a single slit. Width of central maximum. Resolving power of microscopes and astronomical telescopes. Polarisation plane polarized light: Brewster's law, uses of plane polarised light and Polaroids.

Unit VII: Dual Nature of Matter and radiation

Dual nature of radiation, Photoelectric effect. Hertz and Lenard's observations: Finstein's photoelectric equation particle nature of light.

Matter waver-wave nature of particles. de Broglie relation. Davisson-Germer experiment.

Unit VIII: Atoms & Nuclei

Alpha-particle scattering experiment: Rutherford's model of atom: Bohr model, energy levels, hydrogen spectrum.

Composition and size of nucleus, atomic masses, isotopes, isobars: isotones. Radioactivity alpha, beta and gamma particles/rays and their properties: radioactive decay law. Mass-energy relation, mass defect; binding energy per nucleon and its variation with mass numbers: nuclear fission, nuclear reactor, nuclear fusion.

Unit IX: Electronic Devices

Semiconductors; semiconductor diode – I-V characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier: I-V characteristics of LED, photodiode, solar cell and Zener diode; Zener diode as a voltage regulation. Junction transistor, transistor action, characteristics of a transistor as an amplifier (common emitter configuration) and oscillator Logic gates (OR, AND, NOT, NAND and NOR). Transistor as a switch.

Unit X: Communication Systems

Elements of a communication system (block diagram only): bandwidth of signals (speech. TV and digital data); bandwidth of transmission medium. Propagation of electromagnetic waves in the atmosphere, sky and space wave propagation. Need for modulation. Production and detection of an amplitude-modulated wave.

CHEMISTRY (PART-I)

Unit I: Some Basic Concepts of Chemistry

General Introduction: Importance and scope of chemistry, Historical approach to particular nature of matter, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory: concept of elements, atoms and molecules. Atomic and molecular masses mole concept and molar mass: percentage composition, empirical and molecular formula chemical reactions, stoichiometry and calculations based on stoichiometry.

Unit II: Structure of Atom

Discovery of electron, proton and neutron: atomic number, isotopes and isobars. Thomson' model and its limitation, Rutherford's model and its limitations, Bohr's model and its limitations, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, de Broglie's relationship. Herisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shapes of s, p and d orbitals, rules for filling electrons in orbitals — Aufbau principle. Pauli exclusion principle an Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals.

Unit III: Classification of Elements and Periodicity of Properties

Significance of classification, brief history of the development of periodic table, modern, periodic law and the present form of periodic table, period trends in properties of elements-atomic radii, ionic radii, Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electron negativity, valence.

Unit IV: Chemical Bonding and Molecular Structure

Valence electrons, ionic bond, covalent bond: bond parameters. Lewis structure, polar character of covalent bond, covalent character of ionic bond, valence bond theory, resonance, geometry of covalent molecules. VSEPR theory, concept of hybridization, involving s, p and d orbitals and shapes of some simple molecules, molecular orbital: theory of homo nuclear diatomic molecules (qualitative idea only), hydrogen bond.

Unit V: States of Matter: Gases and Liquids

Three states of matter, Intermolecular interactions, types of bonding, melting and boiling points. Role of gas laws in elucidating the concept of the molecule. Boyle's law, Charles law, Gay Lussac's law. Avogadro's law. Ideal behaviour, empirical derivation of gas equation. Avogadro's number. Ideal gas equation. Derivation from ideal behaviour, liquefaction of gases, critical temperature. Liquid State- Vapour pressure, Viscosity and surface tension (qualitative idea only, no mathematical derivations).

Unit VI: Thermodynamic

System, types of systems, surroundings, Work, heat, energy, extensive and intensive properties, state functions. First law of thermodynamics-internal energy and enthalpy, heat capacity and specific heat, measurement of ΔU and ΔH . Hess's law of constant heat summation, enthalpy of: bond dissociation, combustion, formation; atomization, sublimation. Phase transformation, ionization, and solution. Introduction of entropy as a state function, free energy change for spontaneous and nonspontaneous processes, criteria for equilibrium.

Unit VII: Equilibrium

Equilibrium in physical and chemical process, dynamic nature of equilibrium, law of mass action, equilibrium constant, factors affecting equilibrium – Le Chatelier's principle; ionic equilibrium – ionization of acids and bases, strong and weak electrolytes, degree of ionization, concept of pH. Hydrolysis of salts (Elementary idea). Buffer solutions, solutions, solutions, solutions product, common ion effect (with illustrative examples.)

Unit VIII: Redox Reactions

Concept of oxidation and reduction, redox reactions, oxidation number, balancing redox reactions, applications of redox reactions.

Unit IX: Hydrogen

Position of hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, preparation, properties and uses of hydrogen: hydrides- ionic, convalent and interstitial: physical and chemical properties of water, heavy water; hydrogen peroxide-preparation, properties and structure; hydrogen as a fuel.

Unit X: s- Block Elements (Alkali and Alkaline earth metals)

Group 1 and Group 2 elements:

General introduction, electronic configuration, occurrence, anomalous properties of the first element of each group, diagonal relationship, trends in the variation of properties (such as ionization enthalpy, atomic and ionic redii), trends in chemical reactivity with oxygen, water, hydrogen and halogen; uses.

Preparation and properties of some important compounds:

Sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate, biological importance of sodium and potassium. CaO CaCO₃ and industrial use of lime and limestone, biological importance of Mg and Ca.

Unit XI: Some p-Block Elements

General Introduction to p-Block Elements

Group 13 elements: General introduction, electronic configuration, occurrence.

Variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous properties of first element of the group: Boron-physical and chemical properties, some important compounds: borax, boric acids boron hydrides. Aluminum: uses, reactions with acids and alkalies.

Group 14 elements: General introduction, electronic configuration, occurrence, variation of properties, oxidation states, trends in chemical reactivity, anomalous, behaviour of first element, Carbon-catenation. allotropic forms, physical and chemical properties; uses of some important compounds: oxides.

Important compounds of silicon and a few uses: silicon tetrachloride, silicones, silicates and zeolites.

Unit XII: Organic Chemistry- Some Basic Principles and Techniques

General introduction, methods of qualitative and quantitative analysis, classification and IUPAC nomenclature of organic compounds Electronic displacement in a covalent bond; inductive effect, electrometric effect, resonance and hyper conjugation. Homolytic and heterolytic fission of a covalent bond: free radicals, carbocation, carbanions; electrophiles and nucleophilers types of organic reaction.

Unit XIII: Hydrocarbons

Classification of hydrocarbons

Alkanes- Nomenclature, isomerism, conformation (ethane only), physical properties, chemical reactions including free radical mechanism of halogenation, combustions and pyrolysis. Alkenes-Nomeclature, structure of double bond (ethane) geometrical isomerism, physical properties, methods of preparation; chemical reaction; addition of hydrogen, halogen, water hydrogen halides (Markovnikov's addition and peroxide effect), ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition. Alkynes – Nomenclature, structure of triple bond (ethyne), physical properties. Methods of preparation, chemical reactions: acidic character of alkynes, addition reaction of hydrogen, halogens, hydrogen halides and water. Aromatic Hydrocarbons: Introduction,

IUPAC nomenclature, benzene: resonance, aromaticity, chemical reactions: nitration sulphonation, halogenations, Friedel Craft's alkylation and acylation, mechanism of electrophilic substitution, directive influence of a substituent in mono-substituted benzene, carcinogenicity and toxicity.

Unit XIV: Environmental Chemistry

Environmental pollution- air, water and soil pollution, chemical reactions in atmosphere, smog, major atmospheric pollutants; acid rain, ozone and its reactions, effects of depletion of ozone layer, greenhouse effect and global warming – pollution due to industrial wastes: green chemistry as an alternative tool for reducing pollution, strategy for control of environmental pollution.

Chemistry (Part – II)

Unit I: Solid State

Classification of solids based on different binding forces: molecular, ionic, convalent and metallic solids, amorphous and crystalling solids (elementary idea), unit cell in two dimensional and three dimensional lattices, calculation of density of unit cell, packing in solids, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point defects, electrical and magnetic properties.

Unit II: Solutions

Types of solutions, expression of concentration of solutions of solids in liquids, solubility of gases in liquids, solid solutions, colligative properties- relative lowring of vapour pressure, elevation of Boiling Point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties, abnormal molecular mass.

Unit III: Electrochemistry

Redox reactions, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity variations of conductivity with concentration, Kohlrausch's Law, electrolysis and laws of electrolysis (elementary idea), dry cell-electrolytic cells and Galvanic cells; lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application to chemical cells, fuel cells; corrosion.

Unit IV: Chemical Kinetics

Rate of a reaction (average and instantaneous), factors affecting rate of reaction; concentration, temperature, catalyst; rate law and specific rate constant, integrated rate equations and half life (only for zero and first order reactions); concept of collision theory (elementary idea, no mathematical treatment).

Unit V: Surface Chemistry

Adsorption-physisorption and chemisorption; factors affecting adsorption of gases on solids: catalysis: homogenous and heterogeneous, activity and selectivity: enzyme catalysis: colloidal state: distinction between true solutions, colloids and suspensions: lyophilic, lyophobic, multimolecular and macromoloecular colloids; properties of colloids: Tyndall effect. Brownian movement, electrophoresis, coagulation; emulsion-types of emulsions.

Unit VI: General Principles and Processes of Isolation of Elements

Principles and methods of extraction – concentration, oxidation, reduction electrolytic method and refining: occurrence and principles of extraction of aluminum, copper, zinc and iron.

Unit VII: p-Block Elements

Group 15 elements: General introduction, electronic configuration, occurrence, oxidation states, trends in physical and chemical properties; nitrogen-preparation, properties and uses; compounds of nitrogen; preparation and properties of ammonic and nitric acid, oxides of nitrogen (structure only); Phosphorous-allotropic form; compounds of phosphorous: preparation and properties of phosphine, (PCl₃, PCl₅) and oxoacids (elementary idea only).

Group 16 elements: General introduction, electronic configuration, oxidation states, occurrence, trends in physical and chemical properties; dioxygen; prparation, properties and uses; simple oxides; Ozone, Sulphur-allotropic forms; compounds of sulphur; preparation, properties and uses of sulphur dioxide; sulphuric acid; industrial process of manufacture properties and uses, oxoacids of sulphur (structures only).

Group 17 elements: General introduction, electronic configuration, oxidtion states, occurrence, trends in physical and chemical properties; compounds of halogens; preparation, properties and uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds, oxoacids of halogens (structures only)

Group 18 elements: General introduction, electronic configuration. Occurrence, trends in physical and chemical properties, uses.

Unit VIII:d and f Block Elements

General introduction, electronic configuration, occurrence and characteristics of transition metals, general trends in properties of the first row transition metals – metallic character, ionization enthalpy.

Lanthanoids - electronic configuration, oxidation states, chemical reactivity and lanthanoid contraction.

Actinoids – Electronic configuration, oxidation states.

Unit IX:Coordination Compounds

Coordination compounds - Introduction, Ligands, coordination number, colour, magnetic properties and shapes, IUPAC nomenclature of mononuclear coordination compounds, bonding; isomerism, importance of coordination compounds (in qualitative analysis, extraction of metals and biological systems).

Unit X: Haloalkanes & Haloarenes

Haloakanes:

Nomenclature, nature of C-X bond, physical and chemical properties, mechanism of substitution reactions.

Haloarenes:

Nature of C-X bond, substitution reactions (directive influence of halogen for monosubstituted compounds only)

Uses and environmental effects of dichloromethane, trichloromethance, tetrachloromethance, iodoform, freons, DDT.

Unit XI: Alcohols, Phenols and Ethers

Alcohols: Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties (of primary alcohols only), identification of primary, secondary and tertiary alcohols; mechanism of dehydration, uses of methanol and ethanol.

Phenols: Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, acidic nature of phenol, electrophillic substitution reactions, uses of phenols.

Ethers: Nomenclature, methods of preparation, physical and chemical properties, uses.

Unit XII: Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acid

Aldehydes and Ketones: Nomenclature, nature of carbony group, methods of preparation, physical and chemical properties mechanism of nucleophilic addition, reactivity of alpha hydrogen in aldehydes: uses.

Carboxylic Acids: Nomenclature, acidic nature, methods of preparation, physical and chemical properties; uses.

Unit XIII: Organic Compounds containing Nitrogen

Amines: Nomenclature, classification, structure, methods of preparation, physical and chemical properties, uses, identification of primary, secondary and tertiary amines.

Cyanides and Isocyanides – will be mentioned at relevant places in context.

Diazonium salts: Preparation, chemical reactions and importance in synthetic organic chemistry.

Unit XIV: Biomolecules

Carbohydrates – Chassifiation (aldoses and ketoses), monosaccahrides (Glucose and fructose), oligosaccharides (sucrose, lactose, maltose) polysaccharides (starch, cellulose, glycogen: importance.

Proteins – Elementary idea of α -amino acids, peptide bond, polypeptides, proteins, structure of amines-primary, secondary, tertiary structure and quaternary structures (qualitative idea only), denaturation of proteins; enzymes.

Vitamins – Classification and functions.

Nucleic Acids: DNA and RNA

Unit XV: Polymers

Classification – natural and synthetic, methods of polymerization (addition and condensation), copolymerization. Some important polymers: natural and synthetic like polythene, nylon, polyesters, bakelite, rubber.

Unit XVI: Chemistry in Everyday life:

- 1. *Chemicals in medicines:* analgesics, tranquilizers, antiseptics disinfectants, antimicrobials, antifertility drugs, antibiotics, antacids, antihistamines.
- **2.** *Chemicals in food* preservatives, artificial sweetening agents.
- 3. Cleansing agents soaps and detergents, cleansing action

BIOLOGY (PART – I)

I. Diversity of Living World

Diversity of living organisms

Classification of the living organisms (five kingdom classification, major groups and principles of classification within each kingdom).

Systematic and binominal System of nomenclature

Salient features of animal (non-chordates up to phylum level and chordates up to class level) and plant (major groups: Angiosperms up to class) classification, viruses, viroids, lichens Botanical gardens, herbaria, zoological parks and museums.

II. Structural Organisation in Animals and Plants

Tissues in animals and plants.

Morphology, anatomy and functions of different parts of flowering plant: Root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed.

Morphology, anatomy and functions of different systems of an annelid (earthworm), an insect (cockroach) and an amphibian (frog).

III. Cell: Structure and Function

Cell: Cell theory: Prokaryotic and eucaryotic cell, cell well, cell membrane and cell organelles' (plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies/dictyosomes, ribosome's, lysosomes, vacuoles, centrioles) and nuclear organization.

Mitosis, meiosis, cell cycle.

Basic chemical constituents of living bodies.

Structure and functions of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids.

Enzymes: types, properties and function.

IV. Plant Physiology

Movement of water, food, nutrients and gases, Plant and Water Mineral nutrition. Respiration, Photosynthesis, Plant growth and development.

V. Human Physiology

Digestion and absorption

Breathing and respiration.

Body fluids and circulation.

Excretory products and elimination.

Locomotion and movement.

Neural control and coordination.

Chemical coordination and regulation.

BIOLOGY (PART – II)

Unit-I: Reproduction

Reproduction in organisms: Asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plants: Structure of flower, pollination, fertilization, development of seeds and fruits, apomixes and polyembryony.

Human reproduction: Reproductive system in male and female, menstrual cycle, production of gametes, fertilization, implantation, embryo development, pregnancy, parturition and lactation.

Reproductive Health: Population and birth control, contraception and MTP; sexually transmitted diseases, infertility.

Unit –II: Genetics and Evolution

Mendelian inheritance.

Chromosome theory of inheritance, deviations from Mendelian ratio (gene interaction – incomplete dominance, co-dominance, multiple alleles).

Sex determination in human beings: XX, XY.

Linkage and crossing over.

Inheritance pattern: Mendelian disorders and chromosomal disorders in humans.

DNA and RNA search for genetic material, replication, transcription, genetic code, translation.

Gene expression and regulation.

Genome and Human Genome Project.

DNA fingerprinting.

Evolution: Origin of life, theories and evidences, adaptive radiation, mechanism of Evolution origin and evolution of man.

Unit -III: Biology and Human Welfare

Basic concepts of immunology, vaccines.

Pathogens, Parasites.

Cancer and AIDS

Adolescence and drug/alcohol abuse.

Plant breeding, tissue culture, single cell, protein, food production, animal husbandry, Microbes in household food processing, industrial production sewage treatment, energy generation bio-control agents and bio-fertilizers.

Unit – IV: Biotechnology and Its Application

Principles and Processes; Recombinant DNA technology; Application in Health and Agriculture; genetically modified (GM) organisms: biosafety issues.

Unit – V: Ecology & Environment

Ecosystems: Components, types Energy flow, nutrient cycling and ecosystem services. Organism and Population: Organisms and its environment, population and ecological adaptations.

Centres of diversity and conservation for biodiversity. Biosphere reserves. National parks and sanctuaries. Environmental issues.

Note: The bond provided by the Institute/College at the time of admission will be final

BOND SIGNED/EXECUTED BY MBBS MEDICAL STUDENT SELECTED FOR ADMISSION AT...... GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, UTTARAKHAND HIS/HER FATHER/PARENT/GUARDIAN, AND THE OTHER SURETY.

Self
Attested Photograph
of the Medical
Student

THIS BOND is executed on the day of by
at present student of MBBS course at
(hereinafter called 'medical student'), his/her
father/parent/guardians/o/w/or/o(hereinafter
called 'the first surety') ands/o/w/o
expressions which include their heirs, executors, administrators and
representatives who hereby bind themselves jointly and severally to the
Government of Uttarakhand (hereinafter called 'the Government' which
expression shall include its successors and assignees) that after successful
completion of the MBBS course, the medical student shall serve the State of
Uttarakhand as Medical Officer on contract basis atleast for a minimum period of
3 years in any of the Government Hospital or Health Centre situated in hilly region
of the State failing which they shall be liable severally or jointly to pay the
Government full tuition fees of the entire MBBS course calculated at prevailing
rate along with such interest as may be determined by the Government, as
described in clause no. 3 of this Bond.

WHEREAS, Medical Facilities in the State have to be strengthened,

WHEREAS, the State of Uttarakhand is facing an acute shortage of MBBS doctors and a large number of posts of Government Doctors are lying vacant in the hilly areas affecting the delivery of health services,

WHEREAS, in such circumstances, the Government has decided that all the MBBS students enrolling in Government Medical Colleges of Uttarakhand against the State Quota and also the students of Central quota shall have an option to complete the MBBS

course on payment of subsidized tuition fees of Rupees 40,000 (Forty Thousand) per annum as against the full tuition fees of Rupees 4,00,000 (Four Lakh) per annum.

WHEREAS, the present medical student of this bond has opted for the subsidized fees and in consideration thereof agrees to serve the State as a Medical Officer/Doctor on contract basis for minimum of three years in any of the Government Hospital/Health Centre situated in hilly region of the State after completion of the MBBS Course.

AND WHEREAS, the Medical Student and his/her first and second sureties have agreed to pay the Government jointly and severally the Bond Amount (Full fees of the MBBS Course minus fees already paid alongwith compound interest thereon at prevailing Bank lending rate), if the Medical Student does not or refuses to serve the State as above.

- 1. That as part of the present bond, the Government will charge subsidized tuition fees of Rs. 40,000/- (Rs. Forty Thousand) per year from the students executing the bond under this scheme. This is a subsidized tuition fees as compared to full annual tuition fees of Rs. 4,00,000 (Four Lakh) per annum. Tuition fees would be chargeable for a total of 4-1/2 years.
- **2.** (1) That the medical student will undergo all such courses and training as the Government may prescribe from time to time at Government Medical Colleges of Uttarakhand and associated Institutions. Attendance at all prescribed course and training course is compulsory and absence from which without prior permission from the Appropriate Authority will attract disciplinary and other action as per rules laid down by the Uttarakhand Government.
- **2. (2)** That the medical student during his/her study at the Government Medical Colleges of Uttarakhand shall be governed by the prescribed standing orders, code of conduct and any other instructions in this regard and violation of these orders/instructions shall attract penalties awarded by the Government of Uttarakhand/Competent Authority and other action as per rules laid down by the Government/Competent Authority whose decision shall be final.
- **2. (3)**That the medical student after successful completion of MBBS Degree Course/Training unless he/she is prevented from doing so by death or on account of ill health or by being removed from the college roll on the grounds that he/she is considered by the Appropriate Authority to be unfit to continue as a medical student (of which the decision of Government of Uttarakhand/Appropriate Authority shall be final), if offered position as a medical officer on contractual basis in any of the Government Hospital/Health Centre in hilly areas of Uttarakhand, shall serve as such for a minimum of three years.

2. (4) Provided that where Medical Student enrolls for MD/MS course immediately after the completion of MBBS course, he/she may be permitted by the Appropriate Authority (Directorate, Medical, Health & Family Welfare/ Medical Education, Uttarakhand) to serve the State immediately after completion of the said MD/MS course. It shall be sole discretion of the Appropriate Authority to grant or refuse the permission and shall not be claimed as matter of right. Where the medical student refuses or fails to serve the State after MD/MS course, the interest on the amount

which the Medical Student, his/her sureties are bound to pay the Government under the present Bond shall also be calculated for the period the Student has taken to pursue the MD/MS course. Without the permission of the Appropriate Authority, pursuing of MD/MS course would lead to liabilities under the present Bond.

- 2. (5) That the sureties shall be liable severally and jointly to fulfill the conditions of this bond provided the student is declared a Non-Service Liability under Para 5 and 6 herein below. This bond shall subsist throughout the period until the student serve the State as a medical officer on contractual basis in the any of the Government Hospital/Health Centre in hilly areas of Uttarakhand for a minimum of three years after completion of MBBS course or MD/MS course, as the case may be, and shall only be discharged from service liability under the Bond when the State Government/ Appropriate Authority (Directorate, Medical, Health & Family Welfare/ Medical Education, Uttarakhand) has issued a certificate to this effect.
- 2. (6) That if medical student does not or refuses to serve the State as a medical officer on contractual basis in any of the Government Hospital/Health Centre in hilly areas of Uttarakhand for a minimum of three years after completion of MBBS course or MD/MS course, as the case may be, under the present service bond, the Bond Amount shall be paid by the sureties severally and jointly to the Government, alongwith compound interest.
- **2. (7)** That both the sureties agree that the Bond Amount or any other amount which they under the present bond are liable to pay the Government severally or jointly, shall be recoverable from them as arrears of land revenue under the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 (as applicable in the State of Uttarakhand) or any other law relating to recovery of money as arrears of land revenue.
- 3. That the medical student once having joined the college will not be permitted to withdraw from the college after admission without payment or recovery as the case may be, of the Bond Amount calculated at the rate of Rs. 4,00,000/-(Rupees Four Lakh) per year for 4-1/2 years (minus the subsidized fees already paid) plus compound interest on prevailing Bank lending rate. It is agreed that the medical student shall be

withdrawn/removed from the roll of the Government Medical Colleges by the Appropriate Authority on any of the following grounds:-

- (i) Unsatisfactory/disciplinary conduct during the course or training at the College and till the date of the course completion as determined by the college authorities and approved by the Director General, Medical Health & Family Welfare/Director, Medical Education, Uttarakhand whose decision shall be final and binding on the student.
- (ii) Unsatisfactory academic progress as reported by the college authorities and approved by the Government of Uttarakhand whose decision shall be final and binding on the student.
- (iii) Knowingly furnishing false particulars for admission to the said college.
- (iv) Failing to give correct medical history as required at the time of pre-admission Medical Board.
- (v) Any other condition which may be imposed by Government /Appropriate Authority from time to time.
- 4. That it is agreed that admission to Government Medical Colleges of Uttarakhand under the present bond implies service liability as Medical Officer on contract basis for minimum of three years in any of the Government Hospital/Health Centre in hilly areas of Uttarakhand. If medical student decides not to continue as a service liability or intends to withdraw from the college at his/her own volition, he/she shall be allowed to continue his/her studies or withdraw from the college as a Non-Service Liability after payment of full fees of the course minus the subsidized fees already paid calculated from beginning of the course, along with compound interest thereupon on prevailing Bank lending rate, as may be determined by the Government of Uttarakhand.

5. Conditions of Non Service Liability because of medical reasons:

That the medical student will be declared to have become Non-Service Liability on being declared medically unfit by a Medical Board for service in hilly areas of Uttarakhand due to any disease/disability detected at any stage during the course, as under:-

- (i) The Medical Board headed by Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand will express their opinion on the circumstances under which the Student acquired the disease/disability and whether or not he/she had any control over those circumstances. On recommendations of the Medical Board, the Medical Student may be declared a Non-Service Liability.
- (ii) If on the recommendation of the Medical Board headed by Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand, the medical Student is found permanently unfit for service in hilly areas of Uttarakhand during his/her course of studies, he/she would be removed from Service Liability and shall be liable to pay the Bond Amount alongwith compound interest. The Bond Amount will be paid within one month of being declared Non-Service Liability failing which the amount shall be recovered from medical student

- and his/her sureties of the Student severally or jointly in the manner as provided in sub-para (7) of Para 2 of this Bond.
- (iii) The quantum of Bond Amount to be recovered in each case shall be decided taking into account the following factors:-
 - (a) Time elapsed between joining the MBBS course and date of becoming Non-Service Liability.
 - (b) Severity of the disease/disability.
 - (c) Nature of the disease/disability whether constitutional for example as result of any accident on land, sea or air.
- (iv) Based on the above factors, the Bond Amount to be recovered from the medical student and his/her sureties shall be computed as under:-
 - (a) The Bond Amount shall be calculated at the rate of Rs. 4,00,000/-(Rupees Four Lakh) per year for 4-1/2 years or part thereof, minus the subsidized fees already paid in Government Medical Colleges of Uttarakhand. A basic minimum sum shall be recovered in all cases for the free medical education and allied facilities provided by the Government. Depending on the year in which the student has been admitted and the year of study in which the student is declared Non-Service Liability, minimum charges as under shall always be levied in addition-

First year Rs. 40,000.00
Second year Rs. 80,000.00
Third year Rs. 1,20,000.00
Fourth year & thereafter Rs. 1,60,000.00

- (b) Bond Amount (in addition to a maximum of Rs 1,60,000 mentioned above) shall be decided based on severity of the diseases/disability suffered by the student (in instances of diseases/disability).
- (v) However, full waiver of money may be granted by the Government of Uttarakhand in case of grave illness/severe disability necessitating withdrawal from the college or on death of the student on the basis of individual cases.
- (vi) Provided that the student in point (i) above, may be allowed to continue his/her stay in the hostel on payment of the normal expenses of education including tuition fee and fees for boarding and lodging facilities as Applicable from time to time if he/she has contracted the disease/disability in the circumstances over which he/she has no control and for which he/she has not refused treatment. The decision of the Government in this regard shall be final.

6. Conditions of Non Service Liability because of non-medical reasons:

- (1) That the medical student shall also be declared to have become Non-Service Liability in any of the following condition:-
 - (i) If he fails to attain attendance below 50% in any consecutive terms of the course for reasons other than medical.
 - (ii) If he fails to qualify final MBBS examination within a period of seven years from the date of admission in the college.
- (2) Where the medical student becomes Non-Service Liability under sub-para (1) above, Government shall have right to recover from the student and his/her sureties full tuition fees at the rate of Rs. 4,00,000 (Four Lakh) per year for each year of the student's

stay at the Medical college (minus fees already paid) alongwith compound interest for the said period.

- 7. That where medical student is declared a Non-Service Liability under Para 5, 6 and any other provision of this Bond, the sureties shall jointly and severally be liable to pay forthwith to the Government full fees of the MBBS course for the period from the date of admission to the date of becoming Non-Service liability or removal from the college rolls, together with compound interest on the said money. Additional simple interest shall be levied if the payment is late i.e. delayed beyond 45 days from the date of becoming Non-Service Liability or from the date of withdrawal from the college. In case of removal from the college, all dues will be settled before leaving the college.
- **8.** That where medical student refusing three years service in hilly regions of Uttarakhand as offered by the Department under this Bond, offers to pay the Government the Bond Amount, he/she may be released from Service Liability by the administration of the medical college on payment of the Bond Amount along with compound interest on prevailing Bank lending rate in the account of medical college concerned.
- 9. That medical student while taking admission in Government Medical Colleges of Uttarakhand shall deposit a sum of Rupees 5000/- (Rupees five thousand only) as refundable security money. If the medical student withdraws from the college on his/her volition prematurely, the security money shall stand forfeited to the Government.
- 10. That liability of the sureties shall not be impaired or discharged by reason of time being granted, any forbearance of the Government or any other person authorized by it (whether with or without the knowledge or consent of the surety) nor shall it be necessary for the Government to sue the medical student and his / her first surety before suing the second surety.
- 11. That it is agreed that except in cases where any sum of money is recovered by the Government under the present Bond as arrears of land revenue, if there is any dispute to the effect, meaning of these presents, or otherwise, however, except as to matters for which specific provision has been made in these presents, the same shall be referred to the sole arbitration of the Principal Secretary/Secretary, Department of Medical Education, Government of Uttarakhand or any other person appointed by him as the sole arbitrator whose decision shall be final and binding on the parties. The provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996, as amended from to time, shall apply to such arbitration.

Having clearly understood and agreed with the terms and conditions herein above and in witness thereof the parties (Medical Student, First and Second Surety) do hereby affix their signatures on the day mentioned above.

•	ature of Student. ils of Student (Name <i>etc</i> .)	Self attested photograp h of the student
	f parent/guardian/first surety of the medical student ence of:-	Self attested photograph of parent/ guardian/ Ist Surety
1) 2)		
3		Self attested photograp
Signature of 1)	of second surety of the medical student in the presence of:-	h of 2 nd Surety

Note- Self attested photocopies of ID proof of first & second surety to be submitted.

DECLARATION BY FIRST SURETY

	ature is appended to in this bond as first surety, do hereby declare that:-
(a)	I am in service of theCentral/State Government/Local Authority/Corporation/Body/Enterprise owned or controlled by the Central/State Government or self employed. My present designation, details of the employer and office address is
(b)	I ordinarily reside in India and that I possess means which will enable me to repay to the Government the sum of money referred to in the event of my being called upon to do so in accordance with the terms of this Bond.
(c)	I possess immovable property details of which are as follows (photocopy enclosed)
(Sig	nature of First Surety)
(Sur	rety means able to discharge one's debts and obligation in full)
_	ned by the above named surety in the presence of:-
	1)
	2)
	DECLARATION BY SECOND SURETY
R/o.	
(a)	I am in service of theCentral/State Government/Local Authority/Corporation/Body/Enterprise owned or controlled by the Central/State Government or self employed.

My 	present designation, details of the employer and office address is	
(b)	I ordinarily reside in India and that I possess means which will enable me to repay to the Government the sum of money referred to in the event of my being called upon to do so in accordance with the terms of this Bond.	
(c)	I possess immovable property details of which are as follows(photocopy enclosed)	
(Sig	gnature of Second Surety)	
` _	rety means able to discharge one's debts and obligation in full)	
Sign	ned of the above named surety in the presence of:-	
WI	ΓNESS	
	1)	
	2)	
4.	Signed by	
	(Principal)	
Name and designation		
•	be signed by the Principal of	
	1)	
	2)	